

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष-भू प्रबंध), सतपुड़ा भवन, मध्यप्रदेश, भोपाल
क्रमांक/एफ-5/2020/10-11/580 भोपाल, दिनांक 12-2-12-
प्रति,

वनमण्डलाधिकारी,
(सामान्य) वनमण्डल,
उत्तर सिवनी, मध्यप्रदेश।

विषय:- सिवनी जिले में मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत घंसौर-केदारपुर मुख्य मार्ग से चरगांव उमरडीह-बखारी मार्ग ग्रेवल सड़क एवं पुल पुलिया के निर्माण हेतु 2.59 हेक्टेयर वनभूमि ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग, सिवनी को उपयोग पर देने बाबत।

संदर्भ:- मुख्य वन संरक्षक, सिवनी का पत्र क्रमांक/मा.चि./134 दि० 24.01.2020

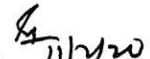
—0—

उपरोक्त संदर्भित पत्र का अवलोकन करें, जिसके द्वारा मुख्य वन संरक्षक, सिवनी ने विषयांकित प्रकरण का प्रस्ताव अपनी अनुशंसा उपरांत इस कार्यालय को अनुमोदन हेतु भेजा गया है। प्रस्ताव का परीक्षण किया गया, प्रस्ताव में निम्न कमियां पाई गई:-

1- प्रकरण में आवेदक संस्थान द्वारा प्रभावित हो रही 2.59 हेक्टेयर वन भूमि के बदले गैर वन भूमि उपलब्ध नहीं कराई गई है। आवेदक संस्थान से समतुल्य गैर वनभूमि प्राप्त कर उसकी KML file, सर्वे ऑफ इंडिया की टोपोशीट एवं जियो रिफरेंस मैप आदि अपलोड कर हार्डकॉपी में इस कार्यालय को भिजवायें।

2- प्रकरण में प्राप्त होने वाली गैर वनभूमि पर इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/4050 दिनांक 30.12.2019 से दिए गए निर्देशों के अनुसार 11 वर्षीय वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना तैयार कर मय तकनीकी स्वीकृति के उपरांत ऑनलाईन अपलोड कर हार्डकॉपी में भेजे।

उपरोक्त जानकारी तत्काल भिजवाये, ताकि प्रकरण में स्वीकृति प्राप्त करने की कार्यवाही की जा सके।


(सुनील अग्रवाल)

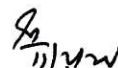
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल
भोपाल, दिनांक 12-2-20

पृ. क्रमांक/एफ-5/2020/10-11/581

प्रतिलिपि:-

1-मुख्य वन संरक्षक, (क्षेत्रीय) सिवनी वृत्त सिवनी, मध्यप्रदेश।

2- कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग, दलदल फेक्ट्री, बेंचावाड़ा, सिवनी, म०प्र०।
की ओर उपरोक्त संदर्भित पत्र के तारतम्य में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल